

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 22/01/19

सं० सं०-17/ए 3-01/2019 - 58 (177) /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के दंत विभाग में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :-

दंत विभाग				
बि०स्वा०से०				
क्र० सं०	नाम	आवेदन संख्या	आरक्षण कोटि	पदस्थापन
1	वैभव शान्दिल्य	CR201800012	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
पी०जी०एस०				
1	सरिता सिंह	CR201800982	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
2	निकिता रमण	CR201800656	अनारक्षित (पि०व०म०)	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
3	सुमैय्या निजाम	CR201800847	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
4	शाश्वत कुमार	CR201800719	अनारक्षित (अ०जा०)	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
5	शागुफ्ता शरीन	CR201800104	अनारक्षित (अ०पि०व०)	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।
6	अनुपमा सिंह	CR201800535	अनारक्षित (पि०व०म०)	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।
7	मिशन मनोहर जयसवाल	CR201800389	पिछड़ा वर्ग	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
8	राम प्रसाद साह	CR201800735	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
9	डॉ० सुधांशु कुमार	CR201800116	पिछड़ा वर्ग	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
10	अमर कुमार	CR201800951	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
पी०जी०ओ०				
1	श्वेता	CR201800344	अनारक्षित	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
2	सराह हसन	CR201800623	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।

✓

3	शुभम् कुमार	CR201800857	अनारक्षित	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
4	कर्ण सिंह	CR201800061	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय।
5	एस0 प्रतिभा शर्मा	CR201800125	अनारक्षित	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा
6	डॉ0 रुकैय्या निशत	CR201800278	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
7	कुन्दन साह	CR201800378	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
8	रितिका अग्रवाल	CR201800940	अनारक्षित (पि0व0म0)	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
9	डॉ0 राहुल मुनका	CR201800358	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
10	फैय्याज अहमद	CR201800922	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
11	भावना कुमारी	CR201800551	अनारक्षित	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।
12	स्तुति कुमारी	CR201800594	पिछड़ा वर्ग महिला	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
13	डॉ0 सबा नसरीन	CR201800765	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
14	रौनक सबा	CR201801071	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
15	इष्मिता	CR201800098	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।
16	साजिया खातून	CR201800093	पिछड़ा वर्ग	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
17	मनीष कुमार	CR201800029	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
18	सुजाता कुमारी	CR201800788	अनुसूचित जाति	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
19	पद्म चन्द्रा	CR201800239	अनुसूचित जाति	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवल-9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

5/1/19


5. टेन्चोर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्चोर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्चोर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अधिकतम 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रीमिलेयर प्रमाण-पत्र/मूल शपथ-पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये सीनियर रेजिडेंट के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक सबसे पुराने पदस्थापित सीनियर रेजिडेंट को आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने सीनियर रेजिडेंट के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 17/ए 3-01/2019- 58/17 पटना, दिनांक :- 29/01/19

- प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल/मगध प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/भागलपुर प्रमंडल/कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/नालंदा/भागलपुर/पश्चिमी चंपारण/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।